ननिवास पुत्र जंवाराराम दर्ज है, पेश की। वकील प्रार्थी के द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा झाडेली के खाता संख्या 738 के खसरा नम्बर 205/836 रकबा 2.6790 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 2.1367 हैक्टेयर की जमा बंदी की नकल जिसमें प्रार्थी का नाम रामूराम पुत्र जंवाराराम के स्थान पर रामनिवास पुत्र जंवाराराम दर्ज है, को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा झाडेली के खाता संख्या 738 के खसरा नम्बर 205/836 रकबा 2.6790 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 2.1367 हैक्टेयर कि जमा बंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी का नाम रामूराम पुत्र जंवाराराम के स्थान पर रामनिवास पुत्र जंवाराराम भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा झाडेली के खाता संख्या 738 के खसरा नम्बर 205/836 रकबा 2.6790 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 2.1367 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: : आदेश : : -

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मौजा मौजा झाडेली के खाता संख्या 738 के खसरा नम्बर 205/836 रकबा 2.6790 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 2.1367 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम रामनिवास पुत्र जंवाराराम के स्थान पर रामूराम पुत्र जंवाराराम दुरूस्त** किया जाता है। **उपरोक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत् रहेगा।** तहसीलदार डेह को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 23/09/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner